(43)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर ।

10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES | 5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

R 840-III/2000 C.A.Rs 15/-

[illegible] तनय कालू कोल, निवासी कोदवा (लटा) तह0 हनुमना जिला रीवा (म0प्र0) ----------आवेदक

बनाम.

छोटेलाल पिता बिशेश्वर कोल, निवासी पाँती, तह0- हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0) --------अनावेदक

माननीय अपर आयुक्त के प्रकरण क्रमांक- 128/अ 74/96-97 आदेश दिनांक-31.3.2000 के विरुद्ध निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. सं. -1959 ई.

26/5/2000 ... कोर्ट ... 26 MAY 2000

मान्यवर,

:: संक्षिप्त तथ्य ::

ग्राम पांती, तह0- हनुमना जिला रीवा में स्थित आराजी नं. -1341 के लक्ष्मधारी वगै., [illegible] वगै. एवं छोटेलाल वगै. संवत भूमिस्वामी अभिलेख में दर्ज थे। इन लोगों के मध्य तहसीलदार हनुमना के द्वारा बटनवारा हुआ था जिसमें इस्ताबी अनुसार बटनवारा नक्शे एवं खसरे में अंकित कर दी गई तथा इसी नक्शा तर्मीम के ही आधार पर छोटेलाल द्वारा अपने तर्मीम शुदा नक्शे पर धीरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी के नाम पत्थर पटिया का उत्खनि पट्टा स्वीकृत हुआ तथा लक्ष्मधारी ने भी अपने तर्मीम शुदा भू भाग पर राममिलन के नाम उत्खनि पट्टा स्वीकृत कराया एवं [illegible] ने भी अपने तर्मीम शुदा भू भाग पर राजेश द्विवेदी को उत्खनि पट्टा हेतु सहमति प्रदान की। उक्त उत्खनि पट्टा तीन वर्षों हेतु खनिज विभाग से प्रदान किया गया था।

इसके पश्चात् जब तीन वर्ष [illegible] व्यतीत होने को हुए तब अनावेदक ने पूर्व में हुए आपसी बटनवारा के आधार पर नक्शा तर्मीम [illegible] यह लिखित आपत्ति तहसीलदार हनुमना के यहाँ प्रस्तुत की, कि [illegible] नक्शा तर्मीम गलत तरीके से किया गया था जिस आपत्ति पर माननीय तहसीलदार महोदय के द्वारा बिना किसी लिखित पक्षकार के सूचना दिये क्रमशः [illegible]

..... पृ. 3 पर .....

([illegible] पृ-2 पर) ... लागू कर दी गई थी

R- 840 -III/2000 जिला- रीवा

4.10.17

आवेदक एवं आवेदक अभिभाषक विगत कई पेशियों से उपस्थित नहीं है। अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अनावेदक की ओर से श्री एस. के. बाजपेयी उप०।

सदस्य

शाक्षेमुग्वा—355—फॉर्म्स—3-2-16—30,000 प्रपत्र.